

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं०-09/उपा०बीज अनु०-23/2007

/कृ० पटना, दिनांक

2017

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा० प्र० से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स ऐ० के० सीड्स कम्पनी,
ग्राम-छीपी टोला नियर मस्जिद चौहट्टा,
पो०-हाजीपुर, जिला-वैशाली, पीन-844101

निर्दिष्ट

विषय : नवीकरण आवेदन अस्वीकृत करने के साथ अनुज्ञप्ति रद्द करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके अनुज्ञप्ति नवीकरण आवेदन एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराया गया स्पष्टीकरण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आपने पुरे अनुज्ञप्ति अवधि में एक माह का भी बिक्री प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। क्योंकि स्पष्टीकरण के साथ प्रतिवेदन भेजने का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार प्रतिष्ठान के व्यवहार में स्वेच्छाचारिता दिखाई देता है।

अतः अनुज्ञप्ति में निहित शर्तों के उल्लंघन के कारण आपके अनुज्ञप्ति नवीकरण आवेदन को अस्वीकृत करते हुए अनुज्ञप्ति सं०-269/2012 को तात्कालिक प्रभाव से रद्द किया जाता है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

6632

/कृ०, पटना, दिनांक 06-11-2017

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/ उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/ सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि यदि उक्त प्रतिष्ठान द्वारा राज्य अन्तर्गत बीज का व्यवसाय किया जाय तो अवैध व्यापार मानते हुए बीज नियंत्रण आदेश 1983 के आलोक में कार्रवाई की जाय।

2. आई०२टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।